## सी.ए. राजेन्द्रन बनाम भारत संघ तथा अन्य
## ए.आई.आर. 1968 एस.सी. 507

**तथ्य**

याची ने प्रत्यर्थियों से इस विषय में कारण बताने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय से अपना निर्णय देने का अनुरोध किया कि 1963 को कार्यालय ज्ञापन को रद्द करने और 1955 तथा 1957 के कार्यालय ज्ञापन में पहले पारित किए गए आदेशों को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अनुच्छेद 32 के अधीन परमादेश (मैन्डेमस) के रूप में क्यों न एक रिट जारी की जाए।

याची, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड (IV) अर्थात श्रेणी (III) अराजपत्रित-लिपिक वर्गीय में स्थायी सहायक था। अगला उच्च पद, जिस पर उसने अपनी पदोन्नति का दावा किया था, अनुभाग अधिकारी का था जिसे श्रेणी (II) ग्रेड (III) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सरकार ने 1955 में एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसके अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, हालांकि उन्हें कुछ रियायतें दी जानी थी। 1957 में एक और ज्ञापन में अनुसूचित जातियां के लिए $12\frac{1}{2}$ प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय किया गया।

दक्षिण रेलवे बनाम बी. रंगाचारी (ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 36) मामले में इस कार्यालय ने बहुमत निर्णय से रेलवे बोर्ड के आक्षेपगत परिपत्रों को अनुच्छेद 16 (4) की परिधि के अन्तर्गत ठहराया था और इस प्रकार अपील मंजूर कर ली गई थी।

इस निर्णय के परिणाम के रूप में, संघ सरकार ने 1963 में इस मामले की समीक्षा की और निर्णय लिया कि श्रेणी (II) और (I) में पदोन्नति के लिए वही पदों का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, जहां ऐसी पदोन्नतियां वरिष्ठता और प्रतियोगी परीक्षा के परिणामस्वरूप की जानी हों लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के संबंध में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था जारी रखी गई। याची ने इस आधार पर इस आदेश को चुनौती दी कि श्रेणी (I) और (II) के पदों के संबंध में आरक्षण को समाप्त करना अनुच्छेद 16(4) द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए गारन्टीकृत मौलिक अधिकारों का प्रत्यक्ष प्रतिबंधन है।

**विवाद्यक (इश्यू)**

क्या अनुच्छेद 16(4) ने सरकार पर पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने का कोई संवैधानिक दायित्व डाला है।

**निर्णय**

यह मामला मुख्य न्यायमूर्ति के.एन.बांचू, सर्व न्यायमूर्ति आर.एस. वचवत, बी. रामास्वामी, जी.के. मित्तल और के.एस. हेगड़े के सामने पेश हुआ।

न्यायालय ने इस मुद्दे का निर्णय नकारात्मक दिया और यह माना कि ऐसा कोई संवैधानिक दायित्व नहीं है। न्यायालय का निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा कि अनुच्छेद 16(4) पदों के आरक्षण संबंध में, चाहे ऐसा आरक्षण भरती अवस्था में हो या पदोन्नति की अवस्था में, पिछड़े वर्गों को कोई मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करता। यह केवल एक समर्थ बनाने वाला उपबंध है, जो ''राज्य को नागरिकों के ऐसे पिछड़े वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था करने की वैदेशिक शक्ति प्रदान करता है, जिनका राज्य की सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।'' (पृष्ठ 513) नियुक्तियों या पदों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते समय सरकार को न केवल पिछड़े वर्गों के सदस्यों के दावों को ध्यान में रखना होता है बल्कि प्रशासन की दक्षता का भी ध्यान रखना होता है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है।

न्यायालय ने निर्णय दिया कि याची की रिट याचिका असफल रही है और सरकार का आदेश अवैध है।

**अधिकाधिक प्रतिपादना:-** आरक्षण की व्यवस्था करना सरकार के विवेक पर निर्भर है। यहां तक कि यदि सरकार ने अपने किसी पहले आदेश के द्वारा आरक्षण की नीति अपनाई हो तो वह परवर्ती आदेश द्वारा उसका त्याग भी कर सकती है।